

संख्या-85/2024/1831/26-3-2024/C.N.-1513982

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण का पत्र संख्या-918/स०क०/शिक्षा-अ/4/5/2024-25 दिनांक 20.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सहित अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा लाक की कार्यवाही		
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना। प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। बाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व बाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल	10 जुलाई, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक

	हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	12 जुलाई, 2024 से 10 दिसम्बर, 2024 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	15 जुलाई, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
4	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना	01 जुलाई, 2024 से 15 मार्च, 2025 तक
5	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	12 जुलाई, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	13 जुलाई, 2024 से 05 अप्रैल, 2025 तक
7	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 जुलाई, 2024 से 16 अप्रैल, 2025 तक
8	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	03 दिसम्बर, 2024 से 10 जून, 2025 तक
9	पी0एफ0एम0एस0 पर छात्रों का वैलिडेशन	26 नवम्बर, 2024 से 02 जून, 2025 तक
प्रथम चरण		
10	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	12 जुलाई, 2024 से 16 नवम्बर, 2024 तक
11	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	18 नवम्बर, 2024 तक
12	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	20 नवम्बर, 2024 तक
13	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	25 नवम्बर, 2024 तक

	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
14	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	26 नवम्बर, 2024 से 09 दिसम्बर, 2024 तक
15	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना	25 नवम्बर, 2024 तक
16	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर, 2024 से 02 दिसम्बर, 2024 तक
17	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	03 दिसम्बर, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक
18	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	19 दिसम्बर, 2024 तक
19	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैण्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 दिसम्बर, 2024 तक
द्वितीय चरण		
20	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	17 नवम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक
21	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	03 जनवरी, 2025 तक
22	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	07 जनवरी, 2025 तक
23	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित	16 जनवरी, 2025 तक

	<u>एवं अग्रसारित करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
24	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u> जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	17 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक
25	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना	16 जनवरी, 2025 तक
26	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	17 जनवरी, 2025 से 28 जनवरी, 2025 तक
27	<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 जनवरी, 2025 से 05 फरवरी, 2025 तक
28	<u>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना</u> शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 फरवरी, 2025 तक
29	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</u> छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 फरवरी, 2025 से 18 फरवरी, 2025 तक
30	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	05 मार्च, 2025 तक
31	<u>माँग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 मार्च, 2025 तक
32	<u>धनराशि का अन्तरण</u>	20 मार्च, 2025 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	
तृतीय चरण		
33	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक
34	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	03 अप्रैल, 2025 तक
35	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल, 2025 तक
36	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 अप्रैल, 2025 तक
37	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	17 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक
38	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना	16 अप्रैल, 2025 तक
39	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	17 अप्रैल, 2025 से 28 अप्रैल, 2025 तक
40	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 अप्रैल, 2025 से 06 मई, 2025 तक
41	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	29 अप्रैल, 2025 से 13 मई, 2025 तक

	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
42	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</u> छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	14 मई, 2025 से 21 मई, 2025 तक
43	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून, 2025 तक
44	<u>माँग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	14 जून, 2025 तक
45	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	21 जून, 2025 तक

4- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 3- संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए आवेदन अग्रसारित किया जायेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा। संस्था द्वारा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके। छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट कराया गया है। समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में घोषित परीक्षाफल को प्रतिवर्ष डिजीलाकर पर भी अपलोड करेंगे।
- 6- प्रथम व द्वितीय चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों की तृतीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
रजनीश चन्द्र,
Rajneesh Chandra

Date: 28-06-2024 11:44:33

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव।

पू०सं० एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव।